



कार्यालय सचिवालय

अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद

International Council of Religions

वेबसाइट: www.icr-int.org

Ref No.: - ICR/2025/68288

Dated: - 19/10/2025

अधिसूचना

विषय: वैश्विक स्तर पर धार्मिक भेदभाव, पूर्वाग्रह, घृणा-भाषण एवं असहिष्णुता के उन्मूलन हेतु 'धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध मानव एकता एवं सद्भाव जागरूकता विशेष अभियान 2025' (Global Campaign for Human Unity & Elimination of Religious Discrimination) का आधिकारिक शुभारंभ, 7-सूत्रीय कार्ययोजना, विधिक दिशा-निर्देश एवं केंद्रीय निगरानी आयोग का गठन।

अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद के संविधान के अनुच्छेद 5 (मानव समानता, बंधुत्व एवं भेदभाव-मुक्ति) एवं अनुच्छेद 27 (धार्मिक स्वतंत्रता व सद्भाव संरक्षण) के अंतर्गत प्रदत्त विधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा (UDHR, 1948) के अनुच्छेद 18 एवं शासी निकाय (Governing Council) द्वारा सर्वसम्मति से पारित विशेष संकल्प संख्या GC-38/2025 के अनुसरण में, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस (16 नवंबर) के पावन अवसर पर 'धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध मानव एकता एवं सद्भाव जागरूकता अभियान 2025' को एतद्वारा विधिक रूप से प्रख्यापित, विमोचित एवं समस्त सदस्य राष्ट्रों में लागू किया जाता है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं अभियान कालावधि

- 1.1 यह अधिसूचना 'अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म धार्मिक भेदभाव उन्मूलन एवं मानव एकता अभियान अधिसूचना, 2025' कही जाएगी।
- 1.2 यह अभियान परिषद के समस्त 162 सदस्य देशों, क्षेत्रीय संभागों, राष्ट्रीय शाखाओं, शैक्षणिक संस्थानों, उपासना स्थलों एवं सामुदायिक संगठनों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- 1.3 विशेष अभियान का प्रथम चरण 16 नवंबर 2025 (अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस) से प्रारंभ होकर 30 जनवरी 2026 (विश्व शांति व शहीद दिवस) तक 75 दिवसीय सघन जागरूकता आंदोलन के रूप में संचालित रहेगा।

2. अभियान का दार्शनिक आधार एवं मूल ध्येय

परिषद यह दृढ़ता से उद्घोषित करती है कि समस्त मानव जाति एक ही ईश्वर/परम चेतना की संतान है तथा किसी भी व्यक्ति के साथ उसके पंथ, मत, उपासना पद्धति अथवा धार्मिक विश्वास के आधार पर भेदभाव करना मौलिक मानवाधिकारों एवं आध्यात्मिक मर्यादाओं का गंभीर उल्लंघन है:

- 'वसुधैव कुटुम्बकम्' – संपूर्ण विश्व एक अखंड परिवार है, जिसमें विविधता ही सृष्टि का वास्तविक सौंदर्य है।
- 'ला इकराहा फिद्दीन' – धर्म और आस्था के विषय में कोई बलप्रयोग या भेदभाव अनुमत्य नहीं है।
- 'मानस की जात सबै एकै पहिचानबो' – समस्त मानव जाति की एक ही पहचान है- मानवता।
- 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' एवं 'गोल्डन रूल' – दूसरों के साथ वही आचरण करें जैसा आप स्वयं के लिए अपेक्षा करते हैं।

3. सप्त-सूत्रीय विधिक एवं सामाजिक कार्ययोजना

समस्त राष्ट्रीय समन्वयकों, जिला समितियों एवं संबद्ध धार्मिक ट्रस्टों द्वारा निम्नलिखित 7 प्रमुख स्तंभों का अनिवार्य क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा:

स्तंभ 1: 'एक सांझी चौपाल' - अंतर-धार्मिक सामुदायिक संवाद मंच:

- प्रत्येक संवेदनशील एवं बहु-धार्मिक क्षेत्रों में स्थानीय मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं चर्च प्रमुखों की संयुक्त मासिक शांति बैठकें आयोजित करना।
- त्योहारों एवं सांस्कृतिक उत्सवों पर परस्पर सौहार्द मिलन एवं सहभोज (Interfaith Community Dinners) का आयोजन।

स्तंभ 2: घृणा-भाषण एवं साइबर ध्रुवीकरण के विरुद्ध शून्य-सहिष्णुता:

- सोशल मीडिया पर भड़काऊ, विभाजनकारी व धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले तत्वों की पहचान हेतु 'सोशल मीडिया सन्द्राव वॉच' की स्थापना।
- भ्रामक सूचनाओं के त्वरित खंडन हेतु बहुभाषी फैक्ट-चेकिंग बुलेटिन जारी करना।

स्तंभ 3: शैक्षणिक संस्थानों में 'सन्द्राव एवं समानता कार्यशालाएं':

- विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को पूर्वाग्रह-मुक्ति, मानवीय गरिमा एवं सह-अस्तित्व पर विशेष इंटरएक्टिव सत्र प्रदान करना।
- 'मानव एकता' विषय पर निबंध, वाद-विवाद, पोस्टर एवं नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताओं का राष्ट्रव्यापी आयोजन।

स्तंभ 4: धार्मिक स्थलों पर भेदभाव-मुक्त पहुंच सुनिश्चित करना:

- किसी भी सार्वजनिक धार्मिक परिसर, सेवा संस्थान, लंगर अथवा धर्मार्थ चिकित्सालय में जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव का पूर्ण निषेध।

स्तंभ 5: 'शांति दूत वालंटियर कोर' (Interfaith Peace Corps) का गठन:

- प्रत्येक जिले में 50 युवा शांति दूतों को प्रशिक्षित करना जो किसी भी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में त्वरित मध्यस्थता कर शांति स्थापित कर सकें।

स्तंभ 6: कानूनी सहायता एवं मानवाधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ:

- धार्मिक भेदभाव अथवा घृणा-अपराधों (Hate Crimes) से पीड़ित निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराना।

स्तंभ 7: 'सार्वभौमिक मानव एकता शपथ' (Universal Unity Pledge):

- अभियान अवधि के दौरान विश्व भर में 1 करोड़ (10 Million) नागरिकों से धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध व्यक्तिगत निष्ठा शपथ पत्र भरवाना।

4. केंद्रीय भेदभाव-विरोधी निगरानी आयोग का गठन

अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन, शिकायतों के त्वरित निवारण एवं वैधानिक निगरानी हेतु उच्चस्तरीय आयोग का विधिक गठन किया जाता है:

1. मुख्य आयुक्त: न्यायमूर्ति (सेवा.) एस. के. बनर्जी (पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश एवं मानवाधिकार विशेषज्ञ)
2. सह-आयुक्त (विधिक एवं संवीक्षा): डॉ. मेरी डिसूजा (अध्यक्ष, नीति व विधि प्रकोष्ठ)
3. मुख्य समन्वयक (फील्ड ऑपरेशंस): डॉ. गुरुबचन सिंह बेदी (राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक)
4. सदस्य (सामुदायिक समन्वय): मौलाना सैयद अनवर अली एवं आचार्य विद्याधर शास्त्री
5. सदस्य (युवा एवं डिजिटल सेल): श्री सिद्धार्थ देवरंजन (निदेशक, आईटी व मीडिया संभाग)

5. 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन एवं त्वरित सहायता प्रणाली

- 5.1 केंद्रीय सचिवालय में एक 24x7 अंतरराष्ट्रीय बहुभाषी हेल्पलाइन (टोल-फ्री: 1800-11-UNITY / 1800-11-86489) तथा समर्पित ईमेल (helpline@interfaithcouncil.org) सक्रिय किया गया है।

5.2 धार्मिक भेदभाव अथवा सामाजिक बहिष्कार संबंधी किसी भी शिकायत पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों एवं शांति समितियों के सहयोग से 48 घंटे के भीतर उपचारात्मक मध्यस्थता सुनिश्चित की जाएगी।

6. बजट प्रावधान एवं 'मानव एकता रत्न सम्मान'

6.1 इस राष्ट्रव्यापी अभियान हेतु वार्षिक बजट के अंतर्गत \$350,000 USD (समकक्ष ₹2.90 करोड़) का विशेष वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है।

6.2 सांप्रदायिक सौहार्द एवं भेदभाव निवारण में असाधारण योगदान देने वाले 15 विशिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं, धर्मगुरुओं एवं युवा शांतिदूतों को आगामी विश्व शांति दिवस पर 'मानव एकता रत्न सम्मान 2025' से विभूषित किया जाएगा।

भवदीय,



अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद

दिनांक: 19 / 10 / 2025



अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद